

# राजस्थान आवासन मण्डल

द्वारा

मानसरोवर योजना जयपुर में रामकृष्ण अपार्टमेंट व  
कावेरी अपार्टमेंट में निर्मित बहुमंजिले फ्लैट्स की मुहरबन्द विड द्वारा

भ्रष्ट नीलामी

सुचना

क्र. सं.	योजना का नाम	मुहरबद विड प्रस्ताव प्राप्त करने की अवधि एवं समय	मुहरबद विड प्रस्ताव खोलने की दिनांक एवं समय	कार्यालय का नाम व पता जहाँ मुहरबद विड प्रस्ताव प्रस्तुत व खोला जाना है			
1.	मानसरोवर	15.02.2017 से 21.02.2017 साय 6.00 बजे तक	दिनांक 22.02.2017 प्रातः 11.00 बजे	कृत-दितीय, मानसरोवर, जयपुर दरमाप: 0141-2782772			
क्र. सं.	सैक्टर	निर्मित फ्लैट/आवास की विविधियाँ	न्यूनतम विड	संलग्न की जाने वाले राशि (5 प्रतिशत)			
		गवर्नर सामान्य/ कॉर्नर एरिया (वी.सी.) सुपर एरिया (वी.सी.)	गवर्नर सुपर	अन्य विवरण			
<b>Ram Krishna Apartment, Block-B, M.G.-B (3 BHK Flats)</b>							
1	14	141/B-802	सामान्य 140.02	52.82	49,50,000	2,47,500	ओपन पाकिंग (निशुल्क)
2	14	141/B-804	सामान्य 140.02	52.82	49,50,000	2,47,500	
3	14	141/B-901	सामान्य 140.02	52.82	49,50,000	2,47,500	
4	14	141/B-905	सामान्य 140.02	52.82	49,50,000	2,47,500	
<b>Kaveri Apartment, H.G (3 BHK Flats)</b>							
5	1	1/KA/306	सामान्य 146.76	108.85	72,00,000	3,60,000	स्टिल पाकिंग
6	1	1/KA/406	सामान्य 146.76	108.85	72,00,000	3,60,000	(कुल लागत का 5
7	1	1/KA/304	सामान्य 138.46	102.30	68,00,000	3,40,000	प्रतिशत वस्तुनीय)

नोट: विडदाताओं द्वारा नीलामी में विड प्रस्तुत करने हेतु लिफ्ट पर लिखे जाने वाले विवरण का प्राप्त्य, विड आवेदन पत्र, भय नीलामी विड की शर्तों के विस्तृत विवरण, कार्यालय से दिनांक 15.02.2017 से मुहरबद विड प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनितम दिनांक 21.02.2017 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान प्राप्त किया जा सकता है अथवा आवासन मण्डल की वेबसाइट [www.mabinonline.rajasthan.gov.in](http://www.mabinonline.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

## सम्पर्क संदर्भ -

1. उप आवासन आयुक्त, वृत्त दितीय, मानसरोवर, जयपुर (दरमाप: 0141-2782772)

2. आवासीय अधिकारी, खण्ड नवम, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर (दरमाप: 0141-2382632)

लिफाफे पर लिखे जाने वाले विवरण का प्रारूप

1) आवास / फ्लैट का विवरण :-

(अ) योजना का नाम :- मानसरोवर योजना जयपुर सेक्टर :- .....

(ब) अपार्टमेंट का नाम ..... .

(स) निर्मित आवास / फ्लैट संख्या .....

2) बिडदाता का नाम :- .....

.....

3) संलग्न अमानत राशि :- रु .....

डी०डी०/बैंकर चैक संख्या ..... दिनांक .....

जारीकर्ता बैंक का नाम .....

4) मुहरबंद बिड प्रस्ताव खोलने की दिनांक : .....

बिडदाता के हस्ताक्षर

नाम : .....

मोबाइल सं : .....

पता : .....

.....

बिडदाता हेतु बिड आवेदन का प्रारूप

- 1) बिडदाता का नाम :— .....
- 2) पिता/पति का नाम :— .....
- 3) पता :— .....

फोटो

..... (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

- 4) पैन :— ..... (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 5) दूरभाष :— ..... मोबाइल नम्बर :— .....
- 6) अमानत राशि एवं परिसम्पत्ति का विवरण :—
  - 1) आवास/फ्लैट का विवरण :—
    - (अ) योजना का नाम :— मानसरोवर योजना जयपुर सेक्टर :— .....
    - (ब) अपार्टमेंट का नाम .....  
के लिये न्यूनतम बिड मूल्य अनुसार अमानत राशि रु. .....  
की ३०३०/बैंकर चैक संख्या ..... दिनांक ..... जारीकर्ता  
बैंक का नाम ..... संलग्न है।
    - (स) निर्मित आवास / फ्लैट संख्या .....  
(नोट:— डी.डी. / बैंकर चैक राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के नाम से ही बनवाये)

**नीलामी की शर्तें :—**

- 1) प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता को न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी तथा राशि रूपये 10.00 करोड़ से अधिक के न्यूनतम बोली मूल्य पर अमानत राशि के रूप में रूपये 50.00 लाख अथवा न्यूनतम बिड मूल्य का 05 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, जमा करानी होगी।
- 2) उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करायी गयी राशि को समायोजित करते हुए 72 घन्टे में सम्भवित खण्ड कार्यालय में दोपहर 3.00 बजे तक व शनिवार को सीधे ही राशि संग्रहण केन्द्र संख्या 8, थड़ी मार्केट, सैक्टर-11, मानसरोवर जयपुर पर 12.00 बजे तक जमा कराकर खण्ड कार्यालय में जमा की रसीद की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन

राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

- 3) शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं करता है तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी।
- 4) बिड प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि/ समय के पश्चात् प्राप्त हुये मुहरबन्द बिड प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5) बिड प्रस्ताव में यदि बिडदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लेख किया जाता है, तो ऐसे सशर्त बिड प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 6) बिड दाता द्वारा परिसम्पत्ति की अंकों में व शब्दों में प्रस्तुत बिड दर/राशि में अन्तर होने की स्थिति में, शब्दों में उल्लेखित बिड दर/राशि ही मान्य होगी।
- 7) किसी एक अथवा समस्त बिड प्रस्तावों को बिना कारण बताये, निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है एवं इस संबंध में कोई वाद/विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
- 8) आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन “जहाँ है जैसा है” के आधार पर निरस्तारित कियें जायेंगे।
- 9) आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन का वास्तविक माप मौके पर उपलब्ध अनुसार ही अंतिम होगा एवं तदनुसार ही गणना की जावेगी।
- 10) किसी परिसम्पत्ति हेतु प्राप्त मुहरबन्द बोली प्रस्तावों में से एक से अधिक बोलीदाताओं द्वारा समान दर प्रस्तुत करने की स्थिति में, समिति द्वारा मौके पर उपस्थित एक समान बोलीदाताओं से बन्द लिफाफे में उसी समय पुनः दर प्राप्त की जावेगी। जोकि पूर्व में प्रस्तुत दर से कम नहीं होगी। किसी बोलीदाता के मुहरबन्द बिड खोले जाने के समय पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसका दरों के संबंध में किसी प्रकार का वाद मान्य नहीं होंगा।
- 11) भूखण्ड वार्षिक शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर विक्रय किया जावेगा। लीज की अवधि 99 वर्ष की होगी। इस अवधि के बाद मण्डल की सहमति से लीज अवधि 99 वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। आवासीय भूखण्ड/निर्मित आवास के लिए लीज मनी की राशि आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक एवं व्यावसायिक भूखण्ड/निर्मित दुकान

के लिये भूमि की आरक्षित दर की 5.0 प्रतिशत की प्रचलित आरक्षित दर पर वार्षिक रूप से देय होगी।

- 12) आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत / 1042 / 379 दिनांक 23.09.2013 के अनुसार संस्थानिक आवंटन में लीज राशि आवंटित दर पर ली जावेगी।
- 13) बिड के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल के नियमों/शर्तों में समय-समय पर किये गये संशोधन/संवर्धन मान्य होंगे।
- 14) नीलामी बोली के नियमों/शर्तों एवं अन्य जानकारी मेरे द्वारा संबंधित कार्यालय/आवासन मण्डल की वेबसाईट [www.rhbonline.rajasthan.gov.in](http://www.rhbonline.rajasthan.gov.in) से प्राप्त कर ली गयी है।
- 15) आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड एवं संस्थानिक हेतु प्रति वर्गमीटर की दर से बिड प्रस्तुत करने के निर्देशों के विपरीत यदि बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड की एक मुश्त कीमत बिड में भरी जाती है, तो ऐसी स्थिति में, अन्य बोलीदाताओं की दरों से तुलना की दृष्टि से, एकमुश्त कीमत को विज्ञप्ति में दर्शित भूखण्ड के क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रति वर्गमीटर दर निकाली जायेगी।
- 16) खुली बोली न्यूनतम 100/- रुपये के गुणक में स्वीकार होगी परन्तु यह शर्त मोहरबन्द निविदा पर लागू नहीं होगी।
- 17) आवटन पत्र में स्वीकृत निविदा की राशि के साथ आवासन मण्डल नियमानुसार देय पार्किंग राशि (अगर हो तो), एक मुश्त मेंटीनेंस चार्ज, लीज मनी, सेवाकर एवं अन्य विविध चार्ज वरूलनीय होंगे।

### उद्घोषणा

मैं/हम ..... पुत्र/पुत्री/पति श्री/  
श्रीमती ..... (बिडदाता) निर्मित  
आवास/फ्लैट संख्या ..... सेक्टर ..... अपार्टमेंट ..... मानसरोवर  
योजना जयपुर)

घोषणा करता/ करती/ करते हूँ/ हैं कि मैंने/ हमने राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उक्त नीलामी हेतु आवेदन पत्र में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त नीलामी संबंधी नियमों/ विनियमों/ शर्तों एवं उनमें समय-समय पर किये गये संशोधनों/ संवर्द्धनों को भली-भांति समझ लिया है।

मैं/हम यह भी घोषणा करता/ करती/ करते हूँ/ हैं कि नीलामी समिति द्वारा मेरी/हमारी उच्चतम दर होने पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाने के परिणामस्वरूप, मुझे/हमें नीलामी स्वीकृति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नीलामी बिड प्रस्ताव आवासन मण्डल के सक्षम स्तर से स्वीकृत नहीं कर दी जाती है एवं इस संबंध में, मैं/ हम कोई विवाद उत्पन्न नहीं करूंगा/करूंगी/करेंगे।

बोलीदाता  
नाम एवं हस्ताक्षर

## मुहरबंद बिड प्रस्ताव

मैं/हम, मुहरबंद बिड खोलने की दिनांक ..... में प्रस्तावित निर्मित

आवास/फ्लैट संख्या ..... सेक्टर ..... मानसरोवर

योजना जयपुर के लिए अपनी/हमारी बिड दर रूपये (अंको में) .....

(शब्दों में) ..... प्रस्तुत

करता/करती हूँ/करते हैं।

(जो लागू ना हो उसे काट दें)

बिडदाता के हस्ताक्षर

नाम : .....

मोबाइल सं : .....

पता : .....